उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:85/2020/ 2239/छप्पन-2020-54/2010
लखनऊ, दिनांक: 03 दिसम्बर, 2020
कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1535/छप्पन-10-26/08 टी0सी0, दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 के द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा को मुख्य व्याख्याता के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 41,000/- (रूपए इकतालीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 को समाप्त हो गई थी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष उनकी संविदा अवधि बढ़ायी जाती रही है। अन्तिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या:108/2019/2136/छप्पन-2019-54/2010 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा की संविदा अवधि दिनांक 08 दिसम्बर, 2019 से आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ायी गई थी, जो दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हो रही है।

2- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 पर सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में मुख्य प्रवक्ता के पद पर कार्यरत श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा की संविदा अवधि दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात् 07 दिसम्बर, 2021 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 94,240.00/- (रूपए चौरान्नवे हजार दो सौ चालीस मात्र) एवं अनुमन्य पारिश्रमिक वृद्धि (यथा समय) पर बढ़ाए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा की संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा,
मुख्य प्रवक्ता,
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0-85/2020/2239(1)/छप्पन-2020-54/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य प्रवक्ता से निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।